

महिला मानवाधिकार और घरेलू हिंसा

डा० अरविन्द कुमार शुक्ल¹

¹सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ०प्र०

Received: 31 August 2023, Accepted: 01 Sep 2023, Published with Peer Reviewed online: 03 Sep 2023

Abstract

यह शोध पत्र महिला मानवाधिकारों और घरेलू हिंसा के जटिल मुद्दों की गहन जांच करता है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समानता प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भूमिका को परखा गया है। घरेलू हिंसा, जो महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का एक प्रमुख रूप है, के सामाजिक, कानूनी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। शोध में महिला अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों और उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

कीवर्ड— महिला अधिकार, मानवाधिकार, घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता, कानून, नीतियाँ, समाज

Introduction

महिला मानवाधिकारों की रक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है। महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे विभिन्न प्रकार की हिंसा और भेदभाव का सामना करती हैं। लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज की एक व्यापक समस्या है जो महिलाओं के आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता को बाधित करती है। यह समस्या केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित देशों में भी व्याप्त है।

शोध के उद्देश्य— यह शोध पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

महिला मानवाधिकारों की परिभाषा और ऐतिहासिक विकास को समझना।

घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों और उसके प्रभावों का अध्ययन करना।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों का विश्लेषण करना।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सामाजिक और कानूनी उपायों की समीक्षा करना।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करना।

शोध की सीमाएँ— इस शोध में मुख्य रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों और घरेलू हिंसा पर केंद्रित किया गया है। यह अध्ययन सामाजिक और कानूनी पहलुओं को सम्मिलित करता है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों की गहराई से जांच इस शोध के दायरे से बाहर है।

शोध की संरचना— इस शोध पत्र को विभिन्न अध्यायों में विभाजित किया गया है—

महिला मानवाधिकार, इसमें मानवाधिकारों की परिभाषा, ऐतिहासिक विकास और महिलाओं के अधिकारों की चर्चा की गई है।

घरेलू हिंसा, इसके विभिन्न स्वरूपों, कारणों और प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

कानूनी पहलू, इसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए कानूनों और नीतियों की समीक्षा की गई है।

सामाजिक और कानूनी समाधान, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की गई है।

निष्कर्ष और सिफारिशें, शोध के आधार पर सुझाव और निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

महिला मानवाधिकारों की रक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है। महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे विभिन्न प्रकार की हिंसा और भेदभाव का सामना करती हैं। यह शोध पत्र घरेलू हिंसा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा और उनके समाधान हेतु सुझाव प्रदान करेगा।

महिला मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं, जो महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। इन अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, कानूनी संरक्षण, और हिंसा से मुक्ति के अधिकार शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकारों का अभिन्न अंग माना है।

इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। महिला मानवाधिकारों में निम्नलिखित प्रमुख अधिकार शामिल हैं—

- ✚ जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
- ✚ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार
- ✚ रोजगार और समान वेतन का अधिकार
- ✚ विवाह और परिवार से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार
- ✚ यौन उत्पीड़न और हिंसा से मुक्ति का अधिकार
- ✚ राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी का अधिकार

प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं की स्थिति समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों पर निर्भर करती थी। कुछ सभ्यताओं में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, जबकि अन्य में वे पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ मानी जाती थीं।

भारत में वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन समय के साथ पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था ने उनके अधिकारों को सीमित कर दिया।

यूनान और रोम में यूनानी सभ्यता में महिलाओं को नागरिक अधिकार नहीं थे, जबकि रोमन साम्राज्य में महिलाओं को सीमित संपत्ति अधिकार प्राप्त थे।

इस्लामी सभ्यता में प्रारंभिक इस्लामिक कानूनों ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और उत्तराधिकार में अधिकार प्रदान किए।

18वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया भर में महिला अधिकारों की मांग ने जोर पकड़ा। औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका में परिवर्तन आया, जिससे उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी।

1848 – सेनिका फॉल्स कन्वेंशन (Seneca Falls Convention), अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह पहला बड़ा सम्मेलन था।

1948 – मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दस्तावेज़ ने सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकारों की वकालत की।

1979 – CEDAW: महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक संधि बनी।

1995 – बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़।

भारत में महिला अधिकारों की लड़ाई का लंबा इतिहास रहा है। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता के अवसरों को बढ़ावा दिया।

1829 सती प्रथा का उन्मूलन (राजा राम मोहन राय के प्रयासों से)।

1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।

1917 महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समानता दिलाने के लिए महिला अधिकार आंदोलन।

1950 भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए।

2005 घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया।

घरेलू हिंसा का अर्थ परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल होता है। यह हिंसा पति-पत्नी, माता-पिता-बच्चों, भाई-बहन, या अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच हो सकती है। आमतौर पर, महिलाएँ घरेलू हिंसा का सबसे अधिक शिकार होती हैं, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और अन्य कमजोर व्यक्तियों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, घरेलू हिंसा को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप माना जाता है, जो उनकी गरिमा, सुरक्षा और जीवन की स्वतंत्रता को बाधित करता है।

घरेलू हिंसा विभिन्न स्वरूपों में हो सकती है, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव डालती है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

शारीरिक हिंसा में किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए हिंसक आचरण किया जाता है, जैसे—

- ✚ मारपीट, धूँसा मारना, धक्का देना
- ✚ जलाना, चाकू या अन्य हथियार से हमला करना
- ✚ भोजन या बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करना
- ✚ हत्या की धमकी देना

मानसिक और भावनात्मक हिंसा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसमें शामिल हैं—

- ✚ बार-बार अपमानित करना और तिरस्कार करना
- ✚ धमकी देना और डराना
- ✚ सामाजिक रूप से अलग-थलग करना
- ✚ आत्मविश्वास को तोड़ना और मानसिक तनाव उत्पन्न करना

यौन हिंसा में किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना या किसी अन्य प्रकार का यौन शोषण शामिल है, जैसे—

- ✚ जबरदस्ती यौन संबंध बनाना (वैवाहिक बलात्कार सहित)
- ✚ अश्लील हरकतें करना या जबरन पोर्नोग्राफी दिखाना
- ✚ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़

आर्थिक हिंसा किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करने और निर्भर बनाने से संबंधित है। इसमें शामिल हो सकते हैं—

- ✚ धन और संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण
- ✚ काम करने से रोकना
- ✚ वेतन या आय को जबरन छीन लेना

✚ आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता

घरेलू हिंसा के कई सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

पितृसत्तात्मक समाज— पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के अधीन समझा जाता है, जिससे घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

आर्थिक निर्भरता— आर्थिक रूप से निर्भर महिलाएँ अक्सर हिंसा को सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

शिक्षा की कमी— महिलाओं और पुरुषों दोनों में शिक्षा की कमी हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है।

नशे की लत— शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन हिंसा को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

कानूनी जागरूकता की कमी— महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे मदद नहीं ले पातीं।

घरेलू हिंसा के प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और देश की प्रगति पर भी असर डालते हैं।

शारीरिक प्रभाव

- ✚ चोट लगना, हड्डी टूटना, या गंभीर शारीरिक नुकसान
- ✚ दीर्घकालिक बीमारियाँ, जैसे उच्च रक्तचाप और हृदय रोग
- ✚ गर्भवती महिलाओं में जटिलताएँ और गर्भपात का खतरा

मानसिक और भावनात्मक प्रभाव

- ✚ आत्मसम्मान की कमी और आत्महत्या की प्रवृत्ति
- ✚ अवसाद, चिंता, और तनाव
- ✚ भय और असुरक्षा की भावना

सामाजिक प्रभाव

- ✚ परिवार और विवाह संबंधों में टूटन
- ✚ बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, जिससे वे भी हिंसा की प्रवृत्ति अपनाते हैं
- ✚ कार्यस्थल पर उत्पादकता में कमी

आर्थिक प्रभाव

- ✚ महिलाओं का रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित होती है

 समाज और सरकार को स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं पर अधिक व्यय करना पड़ता है

घरेलू हिंसा के दीर्घकालिक परिणाम

घरेलू हिंसा के दीर्घकालिक परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं—

महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर प्रभाव से आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पातीं।

अगली पीढ़ी पर प्रभाव से जिन बच्चों का पालन—पोषण हिंसक माहौल में होता है, वे आगे चलकर खुद भी हिंसक व्यवहार अपना सकते हैं।

समाज में अपराध की वृद्धि से घरेलू हिंसा के कारण सामाजिक असमानता और अपराधों में वृद्धि हो सकती है।

घरेलू हिंसा न केवल महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यह समस्या आने वाली पीढ़ियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा एक आवश्यक तत्व है, जो उन्हें हिंसा, भेदभाव और अन्याय से बचाने में सहायता करती है। घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रति अन्य अपराधों को रोकने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण संधियाँ और घोषणाएँ की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून और संधियाँ निम्नलिखित हैं—

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 1948— संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में पारित इस घोषणा में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। यह सभी व्यक्तियों को गरिमा और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है।

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1979 — CEDAW महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 1981 में लागू किया गया। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया गया। सरकारों को महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी दी गई। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995— बीजिंग सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके खिलाफ हिंसा की समाप्ति के लिए 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई। इसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और कानूनी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस्तांबुल कन्वेंशन, 2011— यह संधि यूरोपियन काउंसिल द्वारा पारित की गई थी, जो घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करती है।

भारतीय कानून और नीतियाँ— भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं—

महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act] 2005)

यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके अंतर्गत— महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण से सुरक्षा दी जाती है। पीड़िता को संरक्षण आदेश, निवास आदेश और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498— यह धारा महिलाओं को दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत यदि पति या उसके परिवार के सदस्य महिला को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देते हैं, तो उन्हें सजा दी जा सकती है। यह एक गैर-जमानती अपराध है, जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act] 1961) इस कानून के तहत दहेज लेना या देना गैरकानूनी है। इसमें दोषियों के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace Act] 2013) इस कानून के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत— हर कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

निर्भया एक्ट (Criminal Law Amendment Act, 2013)— दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद इस कानून को पारित किया गया। इसमें बलात्कार, एसिड अटैक और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) इस अधिनियम में महिलाओं को विवाह, तलाक और भरण-पोषण के अधिकार दिए गए हैं।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 (Maternity Benefit Act, 2017)— इस कानून के तहत महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जिससे वे अपने बच्चे की देखभाल कर सकें और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

कानूनी उपायों की प्रभावशीलता और चुनौतियाँ— हालांकि कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है।

कानूनी जागरूकता की कमी, अधिकांश महिलाओं को अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे कानूनी सहायता नहीं ले पातीं।

न्याय प्रक्रिया में देरी, अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कारण पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में काफी समय लग सकता है।

सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता, कई बार महिलाएँ सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज नहीं करातीं और हिंसा को सहन करती रहती हैं।

कानूनी प्रवर्तन में कमी, कई बार पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाएँ पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेतीं, जिससे अपराधियों को दंड मिलने में देरी होती है।

सुधार और सिफारिशें, महिला मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं—

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। त्वरित न्याय प्रणाली में घरेलू हिंसा और यौन अपराधों के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए। सामाजिक मानसिकता में बदलाव में शिक्षा और सामाजिक अभियानों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। कानूनी प्रवर्तन को मजबूत बनाना, पुलिस और न्यायपालिका को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। हालाँकि, इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समाज, सरकार और न्यायपालिका को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए सामाजिक और कानूनी उपाय सामाजिक स्तर पर समाधान—

- ✚ शिक्षा और जागरूकता अभियान से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- ✚ लैंगिक समानता को बढ़ावा से परिवार और विद्यालयों में समानता पर बल देना।
- ✚ आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- ✚ सामुदायिक सहभागिता से स्थानीय स्तर पर महिला सुरक्षा समितियों का गठन।
- ✚ मीडिया की भूमिका से घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों को उजागर करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- ✚ सामाजिक सहयोग और समर्थन समूह से घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सहायता समूह और काउंसलिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कानूनी और सरकारी प्रयास

- ✚ त्वरित न्याय प्रणाली से घरेलू हिंसा मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।

- ✚ महिला हेल्पलाइन सेवाएँ, 24•7 सहायता उपलब्ध कराना।
- ✚ आश्रय गृहों की स्थापना से हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान।
- ✚ कानूनी सहायता से पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी परामर्श।
- ✚ पुलिस प्रशिक्षण से पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को घरेलू हिंसा मामलों से संवेदनशीलता के साथ निपटने का प्रशिक्षण देना।
- ✚ सख्त कानूनों का क्रियान्वयन से मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना और दोषियों को दंडित करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना।

महिला मानवाधिकारों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए समाज, सरकार और न्यायपालिका को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी सहायता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए प्रभावी नीति निर्माण, कड़े कानूनों का पालन, और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।

महिला मानवाधिकारों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए समाज, सरकार और न्यायपालिका को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी सहायता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। महिला मानवाधिकारों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए समाज, सरकार और न्यायपालिका को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी सहायता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए प्रभावी नीति निर्माण, कड़े कानूनों का पालन, और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा से शिक्षा और सामाजिक बदलाव के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करना।

कानूनी सुधार से घरेलू हिंसा कानूनों को सख्ती से लागू करना और अधिक प्रभावी बनाना।

आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं के लिए स्वरोजगार और वित्तीय सहायता के अवसर बढ़ाना।

मनोवैज्ञानिक सहायता से पीड़ितों के लिए परामर्श सेवाएँ और मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित करना।

सामाजिक जागरूकता से घरेलू हिंसा के खिलाफ समुदाय-आधारित अभियानों को प्रोत्साहित करना।

न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।

सन्दर्भ सूची—

- 1- United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," 1948.
- 2- Government of India] "Protection of Women from Domestic Violence Act]" 2005-
- 3- UN Women] "Beijing Platform for Action]" 1995-

- 4- National Crime Records Bureau ¹/₄NCRB¹/₂ Reports on Domestic Violence in India-
- 5- शोभा सक्सेना, महिला अधिकार और कानूनी परिप्रेक्ष्य, सागर पब्लिकेशन, 2010।
- 6- वी.के. सिंह, घरेलू हिंसा और कानूनी समाधान, प्रभात प्रकाशन, 2015।
- 7- रमेश चंद्र, भारत में महिला सुरक्षा कानून, गंगा पब्लिशिंग हाउस, 2018।
- 8- संयुक्त राष्ट्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948।
- 9- अंजलि गुप्ता, महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2017।
- 10- किरण बाला, घरेलू हिंसारू सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, हिंद प्रकाशन, 2019।
- 11- सुभाष चंद्र, नारी सशक्तिकरण और विधि, एपीएच पब्लिशिंग, 2020।
- 12- भारत सरकार, महिला सशक्तिकरण पर सरकारी रिपोर्ट, 2021।